न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 78/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्यामलाल पिता भैरूलाल जाति भील नि. समरिया तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

2. मांगीलाल पि. कंवरलाल जाति भील नि. समरिया तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री सुरेश चन्द नागर
वकील अप्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

आदेश **दिनांक :**

– प्रार्थी

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 212 रा.टी. एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम सामरिया तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 325 की आराजी किता 15 रकबा 8.1189 हेक्टर भूमि वादग्रस्त आराजी है जिस पर प्रार्थी पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सं. 1980–81 में खातेदार घीसा पि. लिम्बा भील के खाते दर्ज थी।

घीसा पि. लिम्बा भील का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

मृतक घीसा पि. लिम्बा भील

- मृतक कंवरलाल
  - मांगीलाल
- मृतक कन्हैयालाल उर्फ खानाजी
  - मृतक भेरूलाल
    - श्यामलाल
  - बद्रीलाल
  - सुन्दरबाई

COURT 2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मांगीलाल (पुत्र)

भैरूलाल (मृतक) बद्रीलाल सुन्दर बाई

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य का गठन होने के बाद वादग्रस्त आराजी में कंवरलाल पि. घीसा का नाम दर्ज किया गया परन्तु मृतक घीसा के अन्य पुत्र कन्हैयालाल उर्फ खानाजी का नाम तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा दर्ज नहीं किया गया परन्तु मौके पर घीसा पि. लिम्बा की आराजी में खातेदार कंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने छोटे भाई खानाजी को भूमि का पारिवारिक बंटवारा कर सेटलमेंट से आराजी दे दी थी जिस पर खानाजी के बाद पुत्र भेरूलाल का कब्जा रहा एवं भेरूलाल के मरने के बाद प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे लगभग 80 वर्ष हो गये है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित है जिससे प्रार्थी 1/2 हक हिस्से की खातेदारी की पात्रता रखता है। अप्रार्थी उक्त आराजी को बेचान करने पर उतारू है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम सामरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 325 की आराजी किता 15 रकबा 8.1189 हेक्टर भूमि को रहन बेचान व हस्तानान्तरण नहीं करे एवं प्रार्थी को बेदखल नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सामरिया की जमाबंदी सं. 1928–31 के खाता सं. 21 सन 1980–81 के खाता सं. 107 , जमाबंदी सं.2073–76 के खाता सं. 325 की की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री हुकुमचन्द कुमावत ने वकालातनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि ग्राम सामरिया की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 325 की आराजी किता 15 रकबा 8.1189 हेक्टर भूमि अप्रार्थी के पिता की खातेदारी की है जिसका घीसा पि. लिम्बा भील से कोई संबंध सरोकार नहीं है। यह भूमि प्रार्थी के पिता को ईनाम के तौर पर प्राप्त हुई थी। ईनाम की भूमि पुश्तैनी व पैतिक भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थी के पिता कंवरलाल ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का कोई भी खसरा नं. , रकबा प्रार्थी को नहीं दिया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्राप्त भूमि का विवरण , कब्जा विवरण विशुद्ध व्याख्या नहीं की है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं है। प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी ताकत के बल

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मांगीलाल (पुत्र) भैरूलाल (मृतक) बद्रीलाल सुन्दर बाई

Scanned with OKEN Scanner

पर वादग्रस्त आराजी में कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा रामलाल , रमेशचन्द व कन्हैयालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई।

प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सामरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 325 की वादग्रस्त आराजी किता 15 रकबा 8.1189 हेक्टर भूमि का अप्रार्थी खातेदार टीनेट है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई नामान्तरकरण या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित कर सके। प्रार्थी द्वारा विगत 80 वर्षो से अपने परिवार का कब्जा होना बताया परन्तु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे कब्जा होना या बंटवारे में प्रार्थी को भूमि प्राप्त होना सिद्ध हो सके। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरनीय क्षति की संभावना अप्रार्थी को है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested

मांगीलाल (पुत्र)

भैरूलाल (मृतक) → श्यामलाल

बद्रीलाल

सुन्दर बाई

निरन्तर 2 पर.....

Scanned with OKEN Scanner